फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

अहमदनूर बनाम सईदा(वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र 111-128 नं0 141 सन् 2021

क	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
10.21	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 23.11.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
8/12/21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 केम्प ग्राम पंचायत आलमास मे पेश हुई. तहसीलदार मोडल पटवार हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश हुई जिसे शा.प. किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. [illegible] उपखण्ड [illegible] माण्डल [illegible] गांवों के संग अभियान 2021	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:10:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

दमा संख्या :- 141/21 प्रा. पत्र

श्री अहमदनूर S/o अमीरदीन मुसलमान निवासी: केरिया त० मांडल (कांरा)

--प्रार्थी

बनाम

श्री सईदा पि० सुल्तान मुसलमान निवासी- केरिया त० मांडल (कांरा)

--विपक्षीगण

(सहखातेदार पत्र सलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक 8.12.21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर आवेदन किया कि ग्राम ....केरिया.... पटवार हल्का....केरिया....तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 3638/2921 कुल किता ....06.... रकबा ....1.9854 हेक्टेयर......—......स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी कदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक....27-10-21....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अत: इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम....केरिया.... पटवार हल्का....केरिया....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 3038/2921 कुल किता ....06.... रकबा....1.9354 हेक्टेयर....—.... भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक....[illegible]....को ....700/—..../- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे को यथास्थिति को देखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गढ़ी न की जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:10:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021